फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री हरिराम **विपक्षी :– रूपा**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 40/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.01.2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 2 द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 के जवाब का अध्ययन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के पडोसी खातेदार हैं। उक्त भूमि प्रार्थी को बंटवाडे के बाद प्राप्त हुई हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार हैं। इसलिए खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि का सीमांकन करने का पूरा अधिकार हैं। खातेदार की भूमि की सीमाकंन व पत्थरगढी किया जाने से विवाद के समाप्त होने की पूरी सम्भावना रहती हैं। विपक्षी के जवाब अनुसार प्रार्थी उसको बेदखल करना चाह रहा हैं। बेदखल से सम्बन्धित तथ्य इस पत्रावली के माध्यम से तय नहीं किये जा सकते हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अपनी खातेदारी भूमि की सीमांकन व पत्थरगढी की ही दाद चाही गई हैं। प्रार्थी खातेदार को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने का पूरा अधिकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1312/1 (शुद्धि पत्र से आराजी नम्बर 5080/1312) किता 1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि के उत्तर दिशा व आराजी नम्बर 1312 के मध्य की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(अक्षय गोदारा IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.12 12:16:33 IST
Reason: SelfAttested